

रिपोर्ट पटवारी हल्का / आई०एल०आर०
 विवेदन पत्र के सम्बन्ध में जांच की गई। जिसके अनुसार

खता-1191पुरा

श्रीमान जी, पं० २६६-२ धुनाथपुरा के राजस्व
 न-२ धुनाथपुरा के खाता नं० २६६ में धार्थी का नाम सुरेश कुमार
 का नाम दर्ज है, जिसके स्थान पर सत्यावेजी के
 आचार पर सुरेश कुमार पु० सुल्ताराम कु० बिया धान्य
 डाला है।

क्रमांक : राजस्व/2020/

1178
 19/11/2021
 कार्यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू (राज.)

दिनांक :-

10/11/21

मूल ही उपखण्ड अधिकारी महोदय, उदयपुरवाटी को प्रेषित कर विवेदन है कि आवेदन पत्र में वर्णितानुसार आवेदक
 का नाम दुरुस्त किया जाना उचित है/उचित नहीं है। आवेदक का नाम दुरुस्त किया जाने की प्रतीति की जाती है / नहीं
 की जाती है।

दुरुस्त किया जाना उचित है

10/11/2021
 तहसीलदार, उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी

1178
 19/11/2021

-- आदेश :-

दिनांक :- 10/11/21

धार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्षों एवं तहसीलदार (मू०अ०)
 उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी की रिपोर्ट के आधार पर राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 136 के अनुसरण में
 निम्नांकित दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर तहसीलदार (मू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को राजस्व
 रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र.सं.	ग्राम	जमाबन्दी सम्बत्	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है।)
1	धुनाथपुरा	2075 से 2078	266	सुरेश कुमार पु० कु०	सुरेश कुमार पु० सुल्ताराम

नोट :-शेष प्रविष्टियां यथावत रहेंगी तथा यदि उक्त भूमि रहन हो तो रहन मुक्त होने के उपरान्त निर्णय की
 पालना की जावे।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी

क्रमांक :- राजस्व/2020/ 988-89

प्रतिलिपि :-

दिनांक :- 10/11/21

1. तहसीलदार (मू०अ०) उदयपुरवाटी/गुढागौड़जी को वास्ते पालनार्थ।
2. धार्थी/धार्थीयाको सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी, उदयपुरवाटी